

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शनिवार, दिनांक 03 जून, 2017 (ज्येष्ठ 13, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11-लहार से निर्वाचित सदस्य, डॉ.गोविन्द सिंह, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 76-चुरहट से निर्वाचित सदस्य, श्री अजय सिंह तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 150-भोपाल उत्तर से निर्वाचित सदस्य, श्री आरिफ अकील को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल शहर रेंज भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर से माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को पत्र दिनांक 24.05.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 25.05.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

“ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि अपराध क्रमांक 30/17 धारा 151 जा.फौ. एवं इस्तगासा क्रमांक 71/17 धारा 107, 116 (3) जा.फौ. के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, डॉ.गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह एवं श्री आरिफ अकील को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.”

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, डॉ.गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह एवं श्री आरिफ अकील को दिनांक 23.05.2017 को 11.40 बजे बंदी कर लिया गया है और उन्हें उसी दिन को 12.30 बजे विमुक्त कर दिया गया है. ”

ए.पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.